प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001
**Department of Communication**, Central Office, S.B.S.Marg, Fort, Mumbai-400001
फोन/Phone: 022- 22660502

22 अक्तूबर 2021

## राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल **₹20,625 करोड़** (अंकित मूल्य) की राशि के लिए प्रतिभूतियों की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

| क्रम संख्या | राज्य/ यूटी | जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) | अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) | अवधि (वर्ष) | नीलामी का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 500 | - | 15 | प्रतिफल |
| | | 500 | - | 16 | प्रतिफल |
| 2 | असम | 500 | - | 5 | प्रतिफल |
| | | 500 | - | 10 | प्रतिफल |
| 3 | बिहार | 2000 | - | 9 | प्रतिफल |
| 4 | छत्तीसगढ | 1000 | | 7 | प्रतिफल |
| 5 | गुजरात | 1500 | 500 | 10 | प्रतिफल |
| 6 | हरियाणा | 1500 | | 7 | प्रतिफल |
| 7 | मध्य प्रदेश | 2000 | - | 15 सितंबर 2021 को जारी 6.85% मध्य प्रदेश एसडीएल 2031 का पुनर्निर्गम | मूल्य |
| 8 | महाराष्ट्र | 2500 | - | 15 सितंबर 2021 को जारी 6.91% महाराष्ट्र एसडीएल 2033 का पुनर्निर्गम | मूल्य |
| 9 | पुदुचेरी | 125 | - | 6 | प्रतिफल |
| 10 | राजस्थान | 1000 | - | 6 | प्रतिफल |
| | | 1000 | - | 10 | प्रतिफल |
| 11 | तमिलनाडु | 1000 | - | 19 मई 2021 को जारी 6.96% तमिलनाडु एसडीएल 2051 का पुनर्निर्गम | मूल्य |
| 12 | उत्तर प्रदेश | 2500 | - | 10 | प्रतिफल |
| 13 | पश्चिम बंगाल | 2500 | - | 20 | प्रतिफल |
| | **कुल** | **20625** | | | |

यह नीलामी **26 अक्तूबर 2021 (मंगलवार)** को भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली का उपयोग करते हुए आयोजित की जाएगी। प्रत्येक स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 10 प्रतिशत तक सरकारी स्टॉक का आबंटन पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी सुविधा योजना के अनुसार प्रति स्टॉक एकल बोली के लिए उसकी अधिसूचित राशि की अधिकतम 1 प्रतिशत की सीमा तक किया जाएगा।

इस नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी, दोनों बोलियां **26 अक्तूबर 2021 (मंगलवार)** को भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। **गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे और 11.00 बजे के बीच तथा प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।**

तकनीकी कठिनाइयां होने पर, कोर बैंकिंग परिचालन टीम से संपर्क किया जाना चाहिए (ईमेल; फोन नंबर: 022-27595666, 022-27595415, 022-27523516)।

नीलामी से संबंधित अन्य कठिनाइयों के लिए, आईडीएमडी नीलामी टीम से संपर्क किया जा सकता है (ईमेल; फोन नंबर: 022-22702431, 022-22705125)।

केवल सिस्टम विफलता की स्थिति में, भौतिक बोलियां स्वीकार की जाएंगी। ऐसी भौतिक बोलियों को लोक ऋण कार्यालय (ईमेल; फोन नंबर: 022-22632527, 022-22701299) को आरबीआई वेबसाइट (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewForms.aspx) से प्राप्त निर्धारित फॉर्म में नीलामी समय समाप्त होने से पहले जमा किया जाना चाहिए।

बोलीकर्ता द्वारा प्रत्याशित प्रति वर्ष प्रतिलाभ प्रतिशत दो दशमलव अंकों तक प्रस्तुत किया जाए। निवेशक प्रतिफल अथवा मूल्य के समान / विभिन्न दरों पर एक से अधिक प्रतिस्पर्धी बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्तुत कर सकता है। तथापि, बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बोलियों की सकल राशि प्रत्येक राज्य के लिए अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकतम प्रतिलाभ/न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगा जिस पर बोलियां स्वीकृत की जाएंगी। प्रतिभूतियां ₹10,000 की न्यूनतम सांकेतिक राशि तथा उसके बाद ₹10,000 के गुणज़ों में जारी की जाएंगी।
इस नीलामी के परिणाम **26 अक्तूबर 2021 (मंगलवार)** को घोषित किए जाएंगे और सफल बोलीकर्ताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में **27 अक्तूबर 2021 (बुधवार)** को बैंकिंग कामकाज़ के समय भुगतान करना होगा।

सभी राज्य सरकारी स्टॉकों पर ब्याज नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर लागू होगा। नई प्रतिभूतियों के लिए ब्याज का भुगतान परिपक्वता तक प्रत्येक वर्ष **27 अप्रैल** और **27 अक्तूबर** को छमाही आधार पर किया जाएगा। ये स्टॉक सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमावली, 2007 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होंगे।

राज्य सरकार स्टॉक में निवेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के प्रयोजन के लिए बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में पात्र निवेश के रूप में गिना जाएगा। ये स्टॉक हाजिर वायदा सुविधा के लिए पात्र होंगे।

**अजीत प्रसाद**
निदेशक

**प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1083**